

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 39 / 13

संस्थापन दिनांक : 29.01.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—भीष्म शर्मा पुत्र राधाकिशन शर्मा उम्र 20 वर्ष
 - 2—सर्वेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा उम्र 50 वर्ष
- निवासीगण ग्राम तारौली थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्त सर्वेश के विरुद्ध धारा 323 / 34, 324, 504 भा.द. स. एवं आरोप भीष्म के विरुद्ध धारा 323, 324 / 34, 504 भा.द.स के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 12.01.13 को शाम 04:00 बजे या उसके लगभग ताल की पार मौजा तारौली में सह अभियुक्त भीष्म के साथ मिलकर फरियादी जगमोहन शर्मा अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी भीष्म शर्मा ने फरियादी जगमोहन अ0सा01 की डण्डों एवं लात घूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आरोपी सर्वेश शर्मा ने फरियादी को दांये हाथ में दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को सआशय गालियां देकर अपमानित किया व तद द्वारा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग या अन्य अपराध करेगा।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.13 को फरियादी जगमोहन अ0सा01 अपनी साइकिल से खेरिया पर से अपने खेत से लूसन लेकर अपने घर आ रहा था जैसे ही वह हार की तरफ मौजा तारौली पहुंचा तो उसके गांव के आरोपी सर्वेश शर्मा व भीष्म शर्मा मिले और पुरानी रंजिश पर से गाली गलौच करने लगे जब उसने गाली देने से मना किया तो भीष्म शर्मा ने

डण्डा मारे जो उसके दोनों पैरों की पिंडली में लगे तथा मूंदी चोट आई तथा सर्वेश शर्मा ने उसे दांये हाथ के बरखा में दाहिने हाथ में काट लिया तथा भीष्म ने लात घूंसों से उसकी मारपीट की जिससे उसके शरीर में मूंदी चोटें आई जब वह चिल्लाया तो मौके पर अरुण शर्मा अ0सा02 व संदीप शर्मा अ0सा04 आ गये जिन्होंने बीच बचाव कराया। तत्पश्चात फरियादी जगमोहन अ0सा01 ने थाना मौ पर अदम चैक प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से थाना मौ में अप0क0 07/13 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में साक्षी आरोपी सर्वेश ब0सा01 को परीक्षित कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :-
 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 12.01.13 को शाम 04:00 बजे या उसके लगभग ताल की पार मौजा तारौली में सह अभियुक्त भीष्म के साथ मिलकर फरियादी जगमोहन शर्मा अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी भीष्म शर्मा ने फरियादी की डण्डों एवं लात घूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी सर्वेश शर्मा ने फरियादी को दांये हाथ में दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
 3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी को सआशय गालियां देकर अपमानित किया व तद द्वारा इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग या अन्य अपराध करेगा ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष //

5. जगमोहन अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 12.01.13 को शाम 4 बजे वह खेत से लूसन लेकर अपने गांव तारौली आ रहा था तब ताल की पार पर आरोपी सर्वेश और भीष्म मिले उसके पांव की पिंडली में भीष्म ने डण्डा मारा और सर्वेश ने दाहिने हाथ के बखौरे के पीछे दांतों से काट लिया और उसे पटककर दोनों आरोपीगण ने लात घूंसों से मारपीट की। वह चिल्लाया तो अरुण अ0सा02 व संदीप अ0सा04 जो अपने खेतों में चक्कर लगा रहे थे आये वैसे ही आरोपीगण उसे छोड़कर भाग गये और उन्होंने घटना देखी फिर उसने शिवनारायण के साथ थाना मौ जाकर रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसे मेडीकल के लिए भेजा उसके शरीर पर जगह-जगह मूंदी चोटें आई थीं। दूसरे दिन पुलिस ने गांव में आकर उसका बयान लिया और नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. अरुण अ0सा02 ने भी जगमोहन के कथन का समर्थन किया है कि ताल की पार पर भीष्म ने जगमोहन को डण्डे मारे और सर्वेश ने दांये कंधे के पीछे काट लिया। उसके चिल्लाने पर वह और संदीप अ0सा04 दौड़कर गये तब आरोपीगण जगमोहन की पटककर लात घूंसों से मारपीट कर रहे थे जो उन्हें

- देखकर भाग गये और वह जगमोहन को साइकिल से घर पर ले आये थे।
7. संदीप अ0सा04 ने भी जगमोहन के कथन का समर्थन किया है कि लगभग चार वर्ष पूर्व ताल की पार पर जगमोहन के भीष्म ने रोककर पैर में डण्डा मारा और सर्वेश ने दांये बखौर में काट लिया। वह सरसों के खेत देखने जा रहा था और आवाज सुनने पर वह पहुंचा।
 8. साक्षी डॉ0 आर0विमलेश अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 12.01.13 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए जगमोहन अ0सा01 का चिकित्सीय परीक्षण किया था। जिसमें चोट क्रमांक 1 दबी हुई खरोंच के दो अर्द्ध चंद्राकार निशान .2से.मी. के थे जो दाहिनी ओर पीठ के पीछे के हिस्से पर थे। चोट क्रमांक 2 3गुणा1से.मी. दांये पैर के पिछले भाग पर नील का निशान, चोट क्रमांक 3 पैर के पिछले भाग पर 2.1गुणा1से.मी. नील का निशान। चोट क्रमांक 1 काटने से आई प्रतीत होती है और चोट क्रमांक 2 मौथरी वस्तु से आना प्रतीत होती है जो परीक्षण के 12 घण्टे के भीतर की थी उसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट प्र0पी-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
 9. आरोपी सर्वेश ब0सा01 ने कथन किया है कि भीष्म उसका भांजा है। दिनांक 12.06.10 को अरुण अ0सा02 के पिता कैलाशनारायण, संजय के पिता शिवनारायण, अरुण अ0सा02 व संदीप अ0सा04 और अन्य लोगों ने उसके घर में घुसकर उसकी लड़की की शादी का सामान जेवर व पचास हजार रुपये लूट लिए जिसके विरुद्ध उसने परिवाद प्र0डी-4 न्यायालय में पेश किया है जो प्र0क्र0 67/11 पर संचालित है। जिसकी आदेश पत्रिका प्र0डी-5 है। वह कैलाशनारायण व शिवनारायण की गालियां देने के विरुद्ध एस.पी.भिण्ड को दिनांक 02.12.11 को शिकायत करने गये थे तब शिवनारायण, अरुण अ0सा02, संदीप अ0सा04, मुकेश ने उसकी मारपीट की जिसके विरुद्ध उसने जेएमएफसी भिण्ड में परिवाद पेश किया जहां आरोपीगण को दोषसिद्ध पाया गया। शिवनारायण ने उसके और भीष्म के विरुद्ध धारा 307 भा.द.स. का प्रकरण पंजीबद्ध कराया था। जिसमें माननीय सत्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा निर्णय दिनांक 24.09.13 के द्वारा उन्हें दोषमुक्त घोषित कर एक हजार रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गयी। शिवनारायण, जगमोहन और अरुण अ0सा02 ने उसके और भीष्म के विरुद्ध भूसा जलाने की शिकायत की थी जिसमें निर्णय प्र0डी-6 के द्वारा वह दोषमुक्त घोषित किए गए। उसने जो भिण्ड और गोहद में परिवाद पेश किए हैं उससे बचने के लिए यह झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। जिससे राजीनामा का दबाव बनाया जाये।
 10. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 2 स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनकी घटना के पूर्व से रंजिश है। लेकिन पैरा 10 में इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे परिवाद की जानकारी है और उनके द्वारा लिखाई गयी धारा 307 भा.द.स. की रिपोर्ट में आरोपीगण बरी हुए हैं और आरोपी के परिवाद पर वह दोषसिद्ध हुए हैं और इन्हीं प्रकरणों से बचने के लिए यह झूठी रिपोर्ट की है। अरुण अ0सा02 ने पैरा 7 में सर्वेश द्वारा उनके विरुद्ध परिवाद पेश करने और उसमें दोषसिद्ध होने के तथ्य को स्वीकार किया है और पैरा 8 में शिवनारायण के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट में आरोपीगण का बरी होना स्वीकार किया है। संदीप अ0सा04 ने पैरा 5 में अपने पिता शिवनारायण के विरुद्ध सर्वेश द्वारा परिवाद पेश होने को स्वीकार किया है लेकिन दोषसिद्ध होने की जानकारी से इंकार किया है और उसके पिता द्वारा भी आरोपीगण के विरुद्ध

थाना बहोड़ापुर ग्वालियर में अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी से इंकार किया है। अतः उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है। आरोपीगण और फरियादी के परिवारजन द्वारा पूर्व में भी परस्पर एकदूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई गयी है। अतः जबकि उभयपक्ष के मध्य पूर्व से रंजिश है और साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना मिथ्या परिवाद की संभावना समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

11. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 3 में कथन किया है कि रोड और ताल की पार अलग है जो लगी हुई हैं और जहां ताल की पार रोड से मिलती है वहां उसकी मारपीट हुई थी। झगड़ा जगदीश के खेत में हुआ था और पैरा 5 में कथन प्र0डी-1 व रिपोर्ट प्र0पी-1 में ताल की पार पर और तारौली रोड पर झगड़ा होने की बात उसने लिखाई थी जो उल्लिखित नहीं है जिसका कारण बताने में वह असमर्थ रहा है। अरुण अ0सा02 ने पैरा 3 में घटना ताल की पार के सामने रोड पर झगड़ा होने की बात कथन प्र0डी-2 में लिखाई थी जिसका लोप भी वह स्पष्ट नहीं कर सका है और पैरा 4 में बताया है कि ताल की पार और रोड चिपकी हुई है। संदीप अ0सा04 ने पैरा 2 में कथन किया है कि पार के बीच में से सड़क गयी है दोनों तरफ पार है बीच में सड़क है और पैरा 7 में बताया है कि झगड़ा सड़क पर हुआ था और नक्शामौका प्र0पी-2 में कॉस से चिन्हित भाग पर झगड़ा होना बताया है। बचाव पक्ष का तर्क है कि तीनों साक्षीगण ने घटनास्थल अलग अलग बताया है नक्शामौका प्र0पी-2 के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटनास्थल आरोपी सर्वेश के खेत के बगल में रोड पर स्थित है और आरोपी के खेत से पश्चिम में ताल की पार उसके बाद जगदीश का खेत है। जगमोहन ने रोड जहां ताल की पार से मिली हुई है वहां झगड़ा होना बताया है। उक्त स्थान नक्शामौका प्र0पी-2 के अनुसार समीप ही है और जगमोहन अ0सा01 ने भी उक्त दोनों स्थान लगे हुए होना बताये हैं। अरुण अ0सा02 ने भी प्रतिपरीक्षण में ताल की पार के सामने रोड पर ही घटना होना बतायी है। अतः जगमोहन अ0सा01 के कथन का समर्थन किया है। और संदीप अ0सा04 ने भी नक्शामौका प्र0पी-2 में चिन्हित भाग पर ही घटना होना बतायी है। उक्त चिन्हित भाग और ताल की पार परस्पर समीप ही हैं। अतः घटनास्थल पर कोई पर्याप्त विरोधाभास नहीं है आहत व अरुण अ0सा02 ने ताल की पार और रोड जहां मिलते हैं वहां घटना होना बतायी है और नक्शामौका प्र0पी-2 भी रोड पर ही घटनास्थल वर्णित करता है। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क कि घटनास्थल में अंतर है, मान्य नहीं है।
12. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 4 में स्वीकार किया है कि अरुण अ0सा02 उसका भाई और संदीप अ0सा04 उसका भतीजा है। अरुण अ0सा02 और संदीप अ0सा04 ने भी परस्पर नातेदारी स्वीकार की है। अतः सभी साक्षीगण नातेदार साक्षी हैं। जिससे प्रकरण में स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है। लेकिन किसी भी साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि घटनास्थल पर उन तीनों के अतिरिक्त भी अन्य कोई व्यक्ति हो और ना ही घटनास्थल सामान्य परिवहन का मार्ग स्पष्ट हुआ है जहां हर समय लोग निकलते हों। अतः जबकि घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र साक्षी भी उपस्थित नहीं था तब मात्र नातेदार साक्षीगण के कथन होने से वह स्वमेव अविश्वसनीय नहीं हो जाते हैं।
13. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 6 में कथन किया है कि कंधे और भुजा के पीछे वाले भाग को बखा कहते हैं उसे कंधे के पास सर्वेश ने नहीं काटा था। जब वह मुंह के बल पड़ा था तब सर्वेश पीठ पर चढ़ गया था। अरुण अ0सा02 ने पैरा

5 में कथन किया है कि सर्वेश ने जगमोहन अ0सा01 के पीछे काटा था। संदीप अ0सा04 ने पैरा 9 में कथन किया है कि जगमोहन अ0सा01 के बखा पर दांतों के निशान थे पीठ पर नहीं थे। बचाव पक्ष का तर्क है कि चिकित्सक ने दांती ओर पीठ में उक्त चोट बतायी है। अतः प्रत्यक्ष साक्षियों के कथन से चिकित्सक साक्ष्य की संपुष्टि नहीं होती है। अदम चैक प्र0पी-1 में बखा में चोट होने का उल्लेख है उक्त भाग को जगमोहन अ0सा01 ने स्पष्ट किया है कि कंधे और भुजा के पीछे वाले भाग को बखा कहते हैं। मुख्यपरीक्षण में भी बखा पर ही काटने का तथ्य उल्लिखित है। अतः कंधे और भुजा के पीछे वाला भाग पीठ ही होता है जिससे प्रत्यक्ष साक्षी के कथन का खण्डन चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होता है। डॉ0 आर0विमलेश अ0सा03 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आहत के बखा के पीछे कोई निशान नहीं था और पीठ में ही दांतों से काटने के निशान थे। इस चिकित्सीय साक्ष्य से बखा कौन से भाग होता है यह स्पष्ट नहीं कराया गया है। बखा के पीछे का भाग पीठ नहीं है यह स्वमेव नहीं माना जा सकता है। अतः चिकित्सक के प्रतिपरीक्षण से भी आहत की साक्ष्य का खण्डन नहीं होता है।

14. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 4 में कथन किया है कि पुलिस घटना के दूसरे दिन घर पर आई थी और नक्शामौका प्र0पी-2 की लिखापट्टी घर पर हुई थी। अतः इस साक्षी ने नक्शामौका घर पर बनाया जाना बताया है। नक्शामौका मात्र घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट करने हेतु सहायक है जोकि जगमोहन अ0सा01 ने न्यायालयीन साक्ष्य से की है। उक्त नक्शामौका जगमोहन अ0सा01 की निशादेही पर बनाया जाना वर्णित है। अतः मात्र निष्पादन स्थान में विरोधाभास नक्शामौका की विश्वसनीयता खण्डित नहीं करता है।

15. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 9 में कथन किया है कि वह घटनास्थल पर डेढ़ घण्टे संदीप अ0सा04 और अरुण अ0सा02 के साथ पड़ा रहा और साढ़े पांच बजे घर आया फिर शिवनारायण आदि से सलाह मशविरा कर उसकी जीप से साढ़े सात बजे मौ० थाने पर दो घण्टे घर पर रुकने के बाद रिपोर्ट करने गया था। अरुण अ0सा02 ने पैरा 2 में इंकार किया है कि वह एकाध घण्टे तक घटनास्थल पर ही रहे और कथन किया है कि पौने पांच बजे वह आ गये थे और पैरा 5 में बताया है कि वह 5-10 मिनट घर पर रुके फिर जगमोहन अ0सा01 को शिवनारायण थाने पर जीप से रिपोर्ट करने ले गया था। उसे नहीं मालूम कि सलाह मशविरा किया था या नहीं। अदम चैक प्र0पी-1 के अनुसार शाम 4 बजे की घटना है और शाम 7:30 बजे अदम चैक लिखी गयी है। घटनास्थल से थाने की दूरी 4कि0मी0 उल्लिखित है। आहत के कोई गंभीर या रक्तस्राव वाली चोट भी उल्लिखित नहीं है। आहत के घटनास्थल पर रहने की अवधि के संबंध में ही मात्र विरोधाभास है। घटना के बाद घर आकर रुककर रिपोर्ट लिखाया जाना स्वमेव पश्चातवर्ती सोच निर्मित नहीं करता है जबकि 3:30 घण्टे के अंदर ही थाने पर सूचना दे दी गयी है और उक्त दिनांक को ही मेडीकल परीक्षण भी हुआ है। अतः रिपोर्ट प्र0पी-1 में अत्यधिक विलम्ब नहीं है। सलाह मशविरा करने से पश्चातवर्ती सोच निर्मित होना नहीं माना जा सकता है।

16. जगमोहन अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि अरुण अ0सा02 और संदीप अ0सा04 का खेत सर्वेश के खेत के बगल में ही है। जहां पर वह चक्कर लगाने आये थे और पैरा 5 में बताया है कि जब उसे डण्डे लग चुके थे तब आरोपीगण उसे जमीन पर पटके हुए थे तब संदीप अ0सा04 और अरुण अ0सा02

आये थे और पैरा 6 में बताया है कि तब उसे काटने की चोट आ चुकी थी और जब संदीप अ0सा04 और अरुण अ0सा02 आये तब उसकी लात घूंसों से मारपीट हो रही थी और उनके आने पर आरोपीगण भाग गये थे और पैरा 8 में बताया है कि उसकी साइकिल पर उसे बिठाकर अरुण अ0सा02 धकेलकर लाया था और संदीप अ0सा04 पीछे से अपनी साइकिल से आया था। अरुण अ0सा02 ने पैरा 2 में कथन किया है कि उन्होंने झगड़े में बीच बचाव नहीं किया और जब वह पहुंचे तभी आरोपीगण भाग गये थे। कथन प्र0डी-2 में बीच बचाव के विरोधाभास का वह कारण नहीं बता सका है और उसने कथन प्र0डी-2 में भी यह नहीं लिखाया है कि वह जगमोहन अ0सा01 को साइकिल पर बिठाकर लेकर आया। संदीप अ0सा04 ने पैरा 6 में कथन किया है कि उसने और अरुण अ0सा02 ने बीच बचाव कराया था उसने सर्वेश को और अरुण अ0सा02 ने भीष्म को पकड़ लिया था। जगमोहन अ0सा01 साइकिल से घर नहीं गया पैदल गया था और उसके सामने जगमोहन अ0सा01 की लात घूंसों से मारपीट नहीं हुई और वह जगमोहन अ0सा01 के साथ नहीं आया था। अतः संदीप अ0सा04 और जगमोहन अ0सा01 के कथन में घटना के बाद आने के संबंध में विरोधाभास है। जगमोहन अ0सा01 ने संदीप अ0सा04 और अरुण अ0सा02 की तब उपस्थिति बतायी है जब वह लात घूंसों से पिट रहा था लेकिन अरुण अ0सा02 ने जगमोहन अ0सा01 का लात घूंसों से पिटने से ही इंकार किया है। अरुण अ0सा02 ने उसके और संदीप अ0सा04 के द्वारा बीच बचाव करना बताया है लेकिन जगमोहन अ0सा01 और संदीप अ0सा04 ने ऐसे किसी तथ्य से इंकार किया है। घटना के बाद घर पर लौटने के समय साइकिल से आने के संबंध में भी विरोधाभास है, संदीप अ0सा04 ने आहत की चोट से खून आना बताया है लेकिन डॉ0 आर0विमलेश ने आहत की चोट से खून निकलने से प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है उपरोक्त तथ्य इस बात को संदेहास्पद बनाते हैं कि वस्तुतः घटना के समय संदीप अ0सा04 और अरुण अ0सा02 मौजूद थे। परन्तु उपहति के संबंध में जगमोहन अ0सा01 द्वारा दिए गए कथन प्रतिपरीक्षण में खण्डित नहीं हुए हैं। अतः मात्र आहत साक्षी के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में भी कथन महत्वपूर्ण रहते हैं।

17. अतः जगमोहन अ0सा01 को आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में दांतों से काटकर व लाठी से चोट पहुंचाकर उपहति कारित करने के संबंध में जगमोहन अ0सा01 ने पूर्णतः विश्वसनीय कथन किए हैं जिसकी संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। अतः यह युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 12.01.13 को शाम 04:00 बजे या उसके लगभग ताल की पार मौजा तारौली में सह अभियुक्त भीष्म के साथ मिलकर फरियादी जगमोहन शर्मा अ0सा01 की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी भीष्म शर्मा ने फरियादी जगमोहन अ0सा01 की डण्डों एवं लात घूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आरोपी सर्वेश शर्मा ने फरियादी को दांये हाथ में दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 पर सकारण निष्कर्ष //

18. जगमोहन अ0सा01 ने कथन किया है कि आरोपीगण ने मां-बहन की गालियां दीं जिससे उसने मना किया। अरुण अ0सा02 ने मुख्यपरीक्षण में और संदीप अ0सा04 ने भी मुख्यपरीक्षण में आरोपीगण द्वारा मां बहन की गालियां देना

बताया है। लेकिन किसी भी साक्षी ने ऐसा कथन नहीं किया है कि जगमोहन अ0सा01 प्रकोपित हुआ हो अथवा आरोपीगण का आशय उसे प्रकोपित करने का हो। अतः अभियोजन साक्ष्य के अभाव में यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने जगमोहन अ0सा01 को सआशय अपमानित कर प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे।

19. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर आरोपीगण द्वारा जगमोहन अ0सा01 को उपहति कारित किया जाना और दांत से काटकर उपहति कारित किया जाना प्रमाणित हुआ है परन्तु यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि आरोपीगण ने जगमोहन अ0सा01 को लोकशांति भंग करने के लिए सआशय अपमानित किया।
20. परिणामतः आरोपी सर्वेश को धारा 323/34 और 324 भादस व आरोपी भीष्म को धारा 323 और 324/34 भादस के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
21. आरोपीगण को धारा 504 भादस के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
22. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है।
23. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपीगण ने पूर्व की रंजिश के आधार पर तबकि जब जगमोहन अ0सा01 अकेला था उसकी मारपीट की जबकि पूर्व की रंजिश समाप्त करने के लिए उन्हें सकारात्मक प्रयास करने चाहिए थे। अतः आरोपीगण का आचरण ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण की परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
24. प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो।

सही /—

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च:

25. आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया कि यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनके द्वारा आरोपीगण को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया है। दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया।
26. प्रकरण में जगमोहन अ0सा01 को दो नील के निशान और दो अर्द्धाकार खरोंच भी आई है कोई कटा हुआ या फटा हुआ घाव नहीं है। अतः आरोपीगण को कारावास का दण्डादेश दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। अतः आरोपी सर्वेश को धारा 324 भादस और आरोपी भीष्म को धारा 324/34 भादस के आरोप में दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड से और न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड जमा करने के व्यतिक्रम की दशा में एक माह का साधारण कारावास भुगता जाये।

27. धारा 323 और 323/34 भादस का आरोप धारा 324 और 324/34 भादस के आरोप का लघुत्तर प्रकृति का अपराध होने से धारा 323 एवं 323/34 भादस के आरोप में प्रथक से दण्डादेश नहीं दिया जा रहा है।
28. प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में नहीं रहे हैं इस संबंध में धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जाये।
29. प्रकरण में धारा 357 द.प्र.स. के अधीन क्षतिपूर्ति राशि दो हजार रुपये अपील अवधि पश्चात आहत जगमोहन अ0सा01 को संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)